छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>**अपील प्रकरण कमांक 407/2007**</u>

1.	**श्री चन्द्रकुमार कटझरे,** **अधिवक्ता, तहसीलपारा, भानुप्रतापपुर,** **जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)**	-	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1.	**जन सूचना अधिकारी,** **कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी,** **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानुप्रतापपुर,** **जिला- उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)**	-	**प्रति अपीलार्थी**

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 14 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री चन्द्रकुमार कटझरे द्वारा जन सूचना अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर के समक्ष दिनांक 07.12.2006 को जानकारी प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा 27.12.2006 को जानकारी प्रदाय की गई, किन्तु वे भ्रामक एवं अधूरी जानकारी होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.01.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी को पूर्ण जानकारी देने के निर्देश प्रदान किये, किन्तु उसके बाद भी पूर्ण जानकारी नहीं मिलने पर आयोग के समक्ष दिनांक 08.03.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गइ ।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि जो भी जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध थी वह प्रदाय की गई और अधिकांश जानकारी या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है या संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के यहॉं से प्राप्त हो सकती है । वस्तुत: जन सूचना अधिकारी को चाहिए था कि जो जानकारी उनके यहॉं उपलब्ध नहीं है, उससे संबंधित आवेदन का अंश अधिनियम के प्रावधान अनुसार संबंधित

अधिकारी को हस्तांतरित कर देना चाहिए था । अत: अब निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी आवेदन को पुन: ध्यान से देखे और दी गई जानकारी के अतिरिक्त उनके यहाँ उपलब्ध हो तो एक सप्ताह में नि:शुल्क प्रदान करे और उनके यहाँ उपलब्ध समस्त रिकार्ड का एक सप्ताह में नि:शुल्क निरीक्षण कराया जावे । विभागी वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण उन्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी जानकारी कहाँ उपलब्ध है । अत: शेष जानकारी के लिए आवेदन के अंश एक सप्ताह में हस्तांतरित करे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा संचालक, स्वास्थ्य सेवायें वे समस्त जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस में नि:शुल्क उपलब्ध करावे । प्रकरण के रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा पृथक से आवेदन देकर कुछ बिन्दुओं की जानकारी इस कार्यालय से पूर्व में ही प्राप्त कर दी है । चूंकि प्रकरण में जानकारी नहीं देने एवं अपूर्ण देने में कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है अत: शास्ति की कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त